

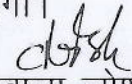
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-II/

दिनांक 26/06/14

नोटिस

निदेशालय के आदेश क्रमांक 406/2013-14 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर से निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर में किया जाकर निर्देशित किया गया था कि कार्यग्रहणकाल का उपयोग किये बिना नवीन पदस्थापन पर अविलंब कार्यग्रहण करेंगे। लेकिन आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्यालय आदेश 4719-4754 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया कि नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की सूचना अविलंब इस निदेशालय को भिजवाये। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। इसके उपरांत भी आप द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि आप राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के अभ्यस्त है। आपका उक्त कृत्य राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः पुनः एक और मौका दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलंब दिनांक 30.06.2014 तक कार्यग्रहण कर सूचना मेल/फेक्स से प्रेषित करे। दिनांक 30.06.2014 तक कार्यग्रहण सूचना प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई प्रारंभ कर दी जावेगी।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

श्री रमेश चन्द शर्मा, लेखाकार

152/88

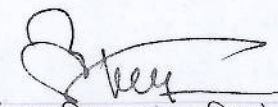
कार्यालय- राजस्थान मदरसा बोर्ड,
जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-II/ 4893-95

दिनांक 26/06/14

प्रतिलिपि-

1. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री शर्मा को को नवीन कार्यालय में कार्यग्रहण करने तक वेतन भुगतान नहीं किया जावे।
2. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)